सं0-34/2022/001-969-23-12-2022-700(ए0डी0बी0)-14

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ: दिनांक 22 जुलाई, 2022**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण से सहायतित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कंसल्टेंसी के कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-261/सीई-एचक्यू 1/एडीबी/डब्लूबी/2022-23, दिनांक 30.06.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित प्रमुख जिला मार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत कंसल्टेंसी कार्यों हेतु निम्न विवरण के अनुसार रू0 112.10 लाख (रूपये एक करोड़ बारह लाख दस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन/व्यय	अवुमक्त धनराशि
1	विश्व बैंक खण्ड-1, लखनऊ	एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित उ0प्र0 प्रमुख जिला मार्ग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम चरण के स्वीकृत कार्यों के सुपरविजन हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति कार्य	2774.18	2552.080	110.00
2	विश्व बैंक खण्ड-1, लखनऊ	एशियन विकास बैंक के ऋण से सहायतित उ0प्र0 प्रमुख जिला मार्ग परियोजना के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन इकाई में वित्तीय प्रबंधन फर्म, व्यक्तिगत पर्यावरणीय एवं व्यक्तिगत सामाजिक कंसल्टेंट्स की नियुक्ति का कार्य	129.41	98.090	2.10
		योग	2903.59	2650.17	112.10

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगें कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित चालू कार्यों पर धनराशि की मांग हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता से मार्ग निर्माण की निरीक्षण रिपोर्ट तथा निर्माणाधीन मार्गों के अद्यतन फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराया जाय।

(5) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) विभाग द्वारा एशियन विकास बैंक की गाइड लाइन्स तथा भारत सरकार की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(7) प्रकरण में अन्य प्रर्वतीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उपरोक्त तालिका में अंकित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(10) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्य /मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/मुख्य अभियन्ता, वाहय सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी।

(11) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(12) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर शासन एवं विश्व बैंक को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णतः प्रमाण पत्र शासन एवं एशियन विकास बैंक को प्रेषित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 1,12,10,000 (रूपये एक करोड़ बारह लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054053379703 एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला सड़क विकास परियोजना के डी0पी0आर0 हेतु मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जुलाई, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-34/2022/001-969-23-12-2022-700(ए0डी0बी0)-14 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।

3- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी) , उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

4- महोलखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

6- वित्त नियन्त्रक,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

8- मुख्य अभियन्ता(मु0-1),लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 ।

10- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 ।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8

13- लोक निर्माण अनु0-10

14- डाटा सेल, नवीन भवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।